Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LV (55), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

शिक्षा के अधिकार से संबंधित संवैधानिक उपबंधों का अध्ययन

विजय लक्ष्मी जोशी* डॉ. रश्मि शर्मा **

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानवाधिकार हैं। एक शिक्षित नागरिक ही स्वयं का विकास करने के साथ-साथ अपने देश के विकास में योगदान दे सकता हैं। शिक्षा न केवल जीवन का अंधकार मीटाती हैं वरन रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के साथ ही व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है। शिक्षाविहिन प्राणी पशु के समान हैं। शिक्षा ग्रहण करने में किसी व्यक्ति की निर्धनता बाधा न बने इस हेतु अंतराष्ट्रीय प्रसंविदाओं द्वारा शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में घोषित किया गया हैं। भारत में नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की मांग आजादी के पूर्व से ही उठने लगी फिर जब भारत आजाद हुआ एवं स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तब संविधान निर्माताओं ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के भाग में न रखकर नितिनिदेशक तत्व में शामिल किया जिसमें संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6-14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का राज्य को निर्देश दिया गया किंतु इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं होने पर 86वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा इसे मूल अधिकार घोषित किया गया। प्रस्तुत शोधपत्र में शिक्षा, शिक्षा के अधिकार को परिभाषित कर शिक्षा के अधिकार से संबंधित संवैधानिक उपबंधों का संक्षिप्त वर्णन कर निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया हैं।
शब्द कुंजी – शिक्षा, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपबंध।

शिक्षा का अर्थ, परिभाषा – शिक्षा का अंग्रेजी अनुवाद एजुकेशन है जो लैटिन भाषा के 'Educatem' शब्द से व्युत्पन्न हुआ है जो E तथा duco से मिलकर बना है। 'E' का अर्थ है Out of तथा 'duco' का अर्थ है- to lead forth or to extract out ! अत: एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ - 'आंतरिक को बाहर लाना' है।

भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा का अर्थ – शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में 'अ' प्रत्यय लगाने से बना है जिसका अर्थ है- सीखना एवं सिखाना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ सीखने, सिखाने की क्रिया, ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन करना इत्यादि है।

विष्णु पुराण के अनुसार -'विद्या वह है जो मुक्ति दिलाये।' सा विद्या या विमुक्तये।

शिक्षा के अधिकार से तात्पर्य – 6 से 14 साल की आयु के प्रत्येक बालक के सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को शिक्षा का अधिकार कहते है।

नि:शुल्क शिक्षा से अभिप्राय – नि:शुल्क शिक्षा से अभिप्राय ऐसी प्रारंभिक शिक्षा से है जो सरकारी एवं सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालयों में बिना किसी शुल्क या प्रभारों के उपलब्ध हो।

अनिवार्य शिक्षा से अभिप्राय – अनिवार्य शिक्षा से अभिप्राय समुचित सरकार पर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसके लिए प्रवेश, उपस्थिति और शिक्षा पूरी होने को सुनिश्चित करने की बाध्यता से है।

प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय – प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय कक्षा 1 से लेकर 8 वीं तक की शिक्षा से है।

अत: कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शिक्षा के अधिकार से तात्पर्य 6 से 14 साल तक की आयु के बालकों के कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से है।

भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार से संबंधित उपबंध – स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान निर्माण की प्रकिया शुरू की गई। तब संविधान निर्माताओं ने वित्त की कमी के कारण शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार भाग में समाविष्ट न करके नितिनिर्देशक तत्व भाग के अनुच्छेद 45 में समाविष्ट किया जिसमें राज्य को अगले 10 वर्षों तक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं नि:शुल्क करने का निर्देश दिया गया था।

अनुच्छेद 45 – 'राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।'

किंतु 10 वर्ष के बीत जाने पर भी सालो-साल सरकार द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए इसी बीच 1992 में उच्चतम न्यायालय ने **मोहिनी जैन विरूद्ध कर्नाटक राज्य** के मामले में एवं 1993 में **उन्नीकृष्णन जे.पी. विरूद्ध आंध्रप्रदेश राज्य और अन्य** के वाद में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार घोषित किया। शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किए जाने के पश्चात भी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं होने पर इसे मूल अधिकार के रूप में घोषित करने की मांग की जाने लगी जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 86वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21क अंतर्विष्ट कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया एवं अनुच्छेद 45 को संशोधित कर उसमें 6 वर्ष तक की आयु के बालकों की शैशवास्था की देखरेख तथा शिक्षा का दायित्व

राज्य को सौपा गया।

अनुच्छेद 21क – राज्य छ: से चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे।

अनुच्छेद 45 – राज्य प्रारंभिक शैशवास्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा।

उपर्यक्त दोनों अनुच्छेदों के अतिरिक्त संविधान में कई ऐसे उपबंध हैं जो शिक्षा के अधिकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं जैसे कि –

- **स्त्री शिक्षा हेतु विशेष उपबंध – अनुच्छेद 15(3)**

अनुच्छेद 15(3) में उपबंधित किया गया है कि 'इस उपबंध की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।'

इस प्रकार अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य नारी शिक्षा एवं बालकों की शिक्षा हेतु विशेष उपबंध कर सकता है जैसे- बालिका विद्यालय की स्थापना, बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देने की योजना बनाना(छात्रवृत्ति, प्रवेश में आरक्षण आदि)।

- **शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का समान अधिकार – अनुच्छेद 29(2)**

संविधान के अनुच्छेद 29(2) में उपबंधित किया गया है कि 'राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।'

- **अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु विशेष उपबंध :- अनुच्छेद 30(1), 30(2)**

अनुच्छेद 30(1) उपबंधित करता है कि 'धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।'

अनुच्छेद 30(2) में उपबंधित किया गया है कि 'शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरूद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।'

- **धार्मिक शिक्षा के बारे में स्पष्ट निर्देश :- अनुच्छेद 28(1) एवं 28(3)**

अनुच्छेद 28(1) उपबंधित करता है कि राज्य निधि से पूर्णत: पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28(3) के अनुसार राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी शिक्षा संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

- **सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण हेतु उपबंध – अनुच्छेद 15(4)**

अनुच्छेद 15(4) संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया जिसमें राज्य को सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है। अनच्छेद 15(4) उपबंधित करता है कि 'इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

- **सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण हेतु विशेष उपबंध – अनुच्छेद 15(5)**

अनुच्छेद 15(5) 93वें संविधान संशोधन द्वारा 2006 में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद, अनुच्छेद 30(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में सामाजिक शैक्षणिक पिछडे वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के लिए आरक्षण हेतु राज्य को सशक्त करता है।

- **बालश्रम पर प्रतिषेध लगाकर प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु उपबंध – अनुच्छेद 24**

अनुच्छेद 24 में उपबंधित किया गया है कि '14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखानें या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।'

इस प्रकार अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों हेतु कारखानें या खान में या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में कार्य करना प्रतिबंधित करके उसे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित किया गया हैं।

- **अनुच्छेद 41 –** अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर शिक्षा पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा।

एम. सी. मेहता विरूद्ध तमिलाण्डु राज्य

के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि हमारे देश के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है क्योंकि बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान किए बिना बालश्रम की समस्या को समाप्त नहीं किया जा सकता।

- **समाज के कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बालकों की शिक्षा हेतु विशेष उपबंध – अनुच्छेद 46**

अनुच्छेद 46 में राज्य को जनता के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करने का निर्देश दिया गया है।

- **अनुच्छेद 51क(ट) –** संविधान के भाग 4क में मूलकर्तव्यों का वर्णन किया गया है जिन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। प्रारंभ में केवल 10 मूल कर्तव्य थे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वॉ मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो माता-पिता तथा संरक्षकों पर अपने बालकों को शिक्षित करने का मूल कर्तव्य अधिरोपित करता हैं। अनुच्छेद 51क(ट) में उपबंधित किया गया है कि 'जो माता-पिता या संरक्षक हो वह छ: से चौदह वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति, अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा।'

- **शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना –** संविधान की सातवी अनुसूची में 3 अनुसूचियॉ उपबंधित की गई है- संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची।

जिसमें संघ सूची में शामिल विषयों पर केवल केन्द्र को कानून बनाने की शक्ति है राज्य सूची में अंतर्विष्ट विषयों पर केन्द्र एवं राज्य दोनों को

विधि बनाने की शक्ति दी गई है। 'शिक्षा' को प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल किया गया था अर्थात् केवल राज्य को इस पर विधि बनाने की शक्ति थी तथा राज्य पर शिक्षा हेतु व्यवस्था करने का दायित्व था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तभी से शिक्षा की व्यवस्था करना केन्द्र और राज्य दोनों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि क्रमांक 25 में शिक्षा को जोड़ा गया है जो इस प्रकार है–

प्रविष्टि क्र. 25 – सूची 1 की प्रविष्टी 63,64,65 और 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शिक्षा जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय है, श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण है।

- **मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा :– अनुच्छेद 350(क)**

अनुच्छेद 350क के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।

निष्कर्ष – उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करने के उपरांत निष्कर्षत: हम यह कह सकते हैं कि संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपबंध किए गए हैं किंतु शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने के बाद भी आज भी कई बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। मध्यप्रदेश सरकारी स्कूलों में माध्यमिक स्तर (6 से 8वीं कक्षा) में पढ़ाई छोड़ने वालें बच्चों की संख्या के मामलें में चौथे स्थान पर हैं। मध्यप्रदेश में मिडिल स्तर पर 6.3% एवं हाईस्कूल स्तर पर 16.8% ड्रापऑउट रेट हैं। मध्यप्रदेश में वर्ष 2025 की केग रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में 1895 सरकारी विद्यालयों में एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं हैं। 435 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं हैं फिर भी वहॉ शिक्षकों की पोस्टिंग हैं। मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के 28.32% पद रिक्त हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में 3.46% पद रिक्त हैं प्रदेश के 5000 सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हैं जो कि बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। 3400 स्कूलों में शौचालय नहीं हैं, जबकि 10 हजार स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नही हैं। शिक्षा की यह बदहाल स्थिति सभी राज्यों में एक जैसी हैं ऐसे में बालकों को शिक्षा का अधिकार मिल पाना असंभव नजर आ रहा हैं। अत: शिक्षा के अधिकार को संपूर्ण देश के बालकों को उसके वास्तविक अर्थों में प्रदान करने हेतु कार्यपालिका को संवैधानिक उपबंधों एवं शिक्षा के अधिकार कानूनों का क्रियान्वयन ईमानदारी पूर्वक करने की आवश्यकता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. जय नारायण पाण्डेय, भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।
2. डॉ. बसंती लाल बाबेल, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशंस, प्रयागराज।
3. https://gyansanchay.csjmu.ac.in/wp-content/uploads/2022/uploads/GYAN-SANCHAY.
4. श्रीमती राजकुमारी शर्मा, प्रो. बैजनाथ शर्मा, प्रो. एस. के. दुबे, श्रीमती अंजना तिवारी, समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध, राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा।
5. भीमसेन खेत्रपाल, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं नियम, 2010, खेत्रपाल पब्लिकेशंस, इंदौर।

****